FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... बद्री

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–07 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–07/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.06.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम कोट भूमि ख0न0 1556 रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता पर गैर सायल बद्री पुत्र गील्या जाति मीना निवासी बनावड़ द्वारा नवीन नीम खोदकर व पत्थर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। तामील नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल का पुत्र समयसिंह उपस्थित हुआ। जिसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि जो अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया था उसको हटा दिया गया है। अतः गैर सायल पुत्र द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया । जिससे गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.22 रूपये का 50 गुणा 22 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 की [illegible] सं0 31 पर 22 रु [illegible] कायम की गई। (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार	